न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 181/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी – 1. सलामत पुत्री उमर पत्नि नवाब जाति मुसलमान निवासी एहसान का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. उमरा पत्नि उमर 2. अली पुत्र मुबीन 3. ताजु पुत्र बचाया 4. बबर पुत्र बचाया 5.मन्दतअली पुत्र बेगू 6. मेहराब पुत्र बेगू 7. अधन पत्नि सुराब 8. अधराम पुत्र मारू 9. काजी पुत्र मोहबत 10. जाकर पुत्र मारू 11. जाफर पुत्र मिरग 12. दोसमोहम्मद पुत्र मिरग 13. धूराखान पुत्र सुईबखा 14. निहाल पुत्र लाखा 15. फातमा पत्नि हाजीमेहराब 16. रबू पुत्र मिरग 17. रहिमा पत्नि सुईब 18. रिड़मल पुत्र लाखा 19. लाडो पत्नि हबीब 20. सुभानी पत्नि हिन्दाल 21. सोहराब पुत्र समदा 22. हाजीनजरमोहमद पुत्र हाजी मठार 23. हाजी मेहराब पुत्र कादू 24. हाला पुत्र ईस्माईल 25. हासम पुत्र मिरग 26. हिंदाल पुत्र संमद 27. हिन्दाल पुत्र समदा, जाति मुसलमान निवासी एहसान का तला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री हासम खान**

विप्रार्थी संख्या 1 से 2 वकील – **श्री प्रवीण चौधरी**

निर्णय

दिनांक :– 03.02.2023

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक राजस्व आवेदन अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें वर्णित तथ्यों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि इसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी का ये प्रथम दृष्टया वाद हैं। प्रार्थी सलामत पुत्री उमर पत्नि नवाब के खातेदारी के निम्न खेत मौजा एहसान का तला पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा में आए हुए है जिसका विवरण इस प्रकार है– खसरा संख्या 252/21 रकबा 68.4970 हैक्टर व इसी ग्राम के खसरा संख्या 26 रकबा 3.2375 हैक्टर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.2266 हैक्टर, खसरा संख्या 78 रकबा 1.3516 हैक्टर, खसरा संख्या 80 [illegible]7923 हैक्टर में वादीया की माता उमरा के हिस्से मे वादीया का 1/2 हिस्सा [illegible] का आया हुआ है। तथा मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी वादीया का स्थित है [illegible] वादपत्र में वादग्रस्त आराजी से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी वादीया की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें वादी का

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:25:21 IST
Reason: SelfAttested

जन्मसिद्व हक हकूक व अधिकार है। मौके पर वादी की रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, संयुक्त आराजी है, जिसमें वादी का कण–कण में पुश्तैनी, जन्मसिद्व हक हिस्सा मौजूद है। वादी वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित होने से वादीया का वादग्रस्त भूमि में वादीया की माता उमरा के हिस्से में वादीया का 1/2 हिस्सा नोश्नलशेयर का आया हुआ है। वादीया की माता उमरा अत्यन्त वृद्व अवस्था की है, जिनका विवेक सही नहीं है, जिनका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी भूमि अपने नाम करवाने पर प्रसायरत है। जिससे वादीया को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहीन की श्रेणी में खड़े करने के आशय से वादग्रस्त वादीया की पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को बेचान,रहन,तर्क,वसीयत, अन्य तरीके से दुर्व्ययन करने व अन्य संक्रान्त करनें व वादीया को नुकाशान पहुंचाने के आशय से तुला हुआ है तथा ऐसा खतरा पैदा हो गया है। जिन्हे ऐसा करने कोई कानूनी अधिकार नही। वादीया का वादग्रस्त भूमि में वादीया की माता उमरा के हिस्से में वादी का 1/2 हिस्सा अपना पुश्तैनी, कब्जाकाश्त, जन्मसिद्व हक हकूक का होने से दावा खातेदारी घोषणा का पेश है। प्रतिवादी ने वादीया को आज से पांच रोज पूर्व ऐलानियां धमकिया दी कि वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का सोदा तय हो गया है, सम्पूर्ण भूमि को बदमाश, अपनबी व्यक्ति को बेचान कर जबरन कब्जा करेगें तथा बेदखल करेगें। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण की पुश्तैनी भूमि व वादीगण के पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हिस्से को बेचान, रहन खुर्द–बुर्द करनें का कोई विधिक अधिकार नहीं है। तथा वादग्रस्त पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि को गैर कानूनी रूप से बेचान, रहन करने को तुला हुआ है तथा खुर्द–बुर्द, बेचान, रहन करना चाहता है। जिससे वादीया के पुश्तैनी हक खतरे में पड़ जाने से दावा एतदर्थ पेश है। वादग्रस्त भूमि बेचान, रहन करने हेतू प्रतिवादी सं. 1 ने वादीया को कई बार मुझे ऐलानिया धमकिया दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बेचान करने का सौदा तया हो गया है, आप कब्जा खाली कर दो। अन्यथा अपाकों जबरन बेदखल कर कब्जा कराएंगे। जिससे, ऐसा करने का उन्हे कानूनी अधिकार नहीं है। जिससे वादीया स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है। विनायवाद उस समय पैदा हुआ कि दिनांक 14.06.2022 को प्रतिवादी सं. 1,2 ने वादीया को ऐलानिया धमकियां दी गई है कि वादग्रस्त भूमि से कब्जा खाली कर दो, हमें भूमि बेचान करने का सोदा तया हो गया है। अन्यथा आपको अपनें पुश्तैनी कब्जे से जबरन बेदखल करेंगे। जिससे विनायवाद बमुकाम एहसान का तला (सालारिया) पैदा हुआ व निरन्तर जारी है। सरहद मौजा– एहसान का तला, पटवार हल्का सालारिया के खसरा सं. 252/21 रकबा 68.4970 हैक्टर व इसी ग्राम के खसरा संख्या 26 रकबा 3.2375 हैक्टर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.2266 हैक्टर, खसरा संख्या 78 रकबा [illegible] हैक्टर व खसरा संख्या 80 रकबा 2.7923 हैक्टर भूमि वादीया की पुश्तैनी होने से पुश्तैनी जन्मसिद्व हक हकूक अधिकार होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Behari Kalal
Date: 2023.04.06 10:25:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

से वादग्रस्त भूमि में वादीया की माता प्रतिवादी संख्या 1 उमरा के हिस्से में वादीया का 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा की डिकी बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमावे। वादग्रस्थ आजी वादिया की हिस्से व कब्जाकाश्त की भूमि होने से उक्त आराजी का प्रतिवादी उमरा बेचान, वसीयत, रहन, हस्तांरण, हकतर्क, दान या अन्य तरीके से संक्रान्त, दुर्व्यन व रैकर्ड परिवर्तन नहीं करे तथा न ही वादीया के पुश्तैनी कब्जाकाश्त में दखलन्दाजी पैदा करें एवं न ही अन्य किसी से करावे। मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश कर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 181/2022 दिनांक 20.06.2022 मौजा एहसान का तला पटवार क्षेत्र सालारिया के खेत खसरा संख्या 252/21 रकबा 68.4970 हैक्टर एवं खसरा संख्या 26 रकबा 3.2375 हैक्टर, खसरा संख्या 78 रकबा 1.3575 हैक्टर एवं खसरा संख्या 80 रकबा 2.7923 हैक्टर भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलदांजी स्वयं करे एवं न ही किसी के मार्फत करवायें तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करे के संबंध में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण वकील ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से निम्नानुसार है– जवाब यह है कि मुस्लिम विधि में सयुक्त परिवार नाम की कोई वस्तु नहीं होती है और न किसी मुस्लिम परिवार में विधि सह आयोग (Tenancy in common) को मान्यता देती है। इसलिए उक्त आवेदन विधि के प्रावधानों के प्रति कुल होने से काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र का पद सं. 2 आशिंक सही है, तथा जवाब यह है कि मुस्लिम विधि में जन्मसिद्व अधिकार के आधार पर कोई अधिकार/हित उत्पन्न नहीं होते है, क्योकि मुस्लिम विधि का सुस्थापित सिंद्वान्त है कि जब तक पिता/माता के जीवनकाल में उनके पुत्र/पुत्री या अन्य दाम न्यासगत होने वालो को कोई अनुतोष पाने के हकदार नहीं है, इस प्रकार प्रार्थीनी कोई हक हिस्सा अपने चाचा व माता से पाने का कोई अधिकार ही नहीं उत्पन्न होता है इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र विधि के सुस्थापित प्रावधानों के विरूद्व प्रस्तुत होने से काबिल ए खारिज है। मुस्लिम विधि में जन्मसिद्व अधिकार के आधार पर कोई अधिकार/हित उत्पन्न नहीं होते है। इस प्रकार भी प्रार्थीनी का कोई जन्म से अधिकार नहीं होने से नोशनलशेयर का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है इसलिए भी [illegible] काबिल ए खारिज है। विप्रार्थीनी सं. 1 पूर्ण स्वस्थ्य है अपनी खातेदारी [illegible] जीवन निवर्हन करती है नहीं विप्रार्थीनी सं. 1 द्वारा अपना हिस्सा बेचान किया क्योकि विप्रार्थीनी सं. 1 के पास आजीविका

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:25:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

एक मात्र साधन खेती है तथा प्रार्थीनी द्वारा जन्म से अधिकार के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो इस्लाम सरियत के प्रावधानों के विरूद्व होने से काबिल ए खारिज है। विप्रार्थीनी ने मनगढड़त तथ्यों एवं काल्पनिक आधारो पर उक्त आवेदन पेश किया है जो काबिल ए खारिज है। प्रार्थीनी का कोई हक हिस्सा ही नहीं बनता है। क्योकि इस्लाम सरियत में जन्म से अधिकार की धारणा ही नहीं है ऐसे में प्रार्थीनी ने नाहर तंग एवं परेशान करने के उदेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के विरूद्व प्रस्तुत किया है जो काबिल ए खारिज है। प्रार्थीनी का वाद ही विधि के प्रावधानों के विरूद्व है क्योकि इस्लाम सरियत में जन्म से अधिकार व संयुक्त परिवार नाम की कोई सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र काबिल ए खारिज है। प्रार्थना पत्र की विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने से किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णिय क्षति का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीनी के प्रार्थाना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थाना पत्र विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील द्वारा लिया गया एकतरफा स्थगन आदेश सारहीन, गलत व मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारीज किया जाता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 181/2022 दिनांक 20.06.2022 के मौके एवं रेकर्ड के स्थगन को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:25:21 IST
Reason: SelfAttested